सीमा खींचना

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (भारतीय राजव्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

24 दिसम्बर, 2021

परिसीमन अभ्यास के साथ जम्मू-कश्मीर की राजनीति को फिर से तैयार करने का कोई भी प्रयास विफल होना तय है।

जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग द्वारा केन्द्र शासित प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों के प्रस्तावित पुनर्सीमांकन ने कश्मीर घाटी में क्षेत्रीय दलों के पूरे ढांचे को हिला दिया है। उनके विरोध के मूल में राजनीतिक सत्ता के जम्मू क्षेत्र में स्थानांतरित होने का डर है। आयोग ने जम्मू में 37 से 43 और घाटी में 46 से 47 सात अतिरिक्त विधानसभा क्षेत्रों का सुझाव दिया है। राजनीतिक मानचित्र को पूरी तरह से जनसंख्या के प्रसार पर नहीं बनाया जा रहा है।

अतिरिक्त निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्ताव "अपर्याप्त संचार" और "अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर उनकी अत्यधिक दूरदर्शिता या दुर्गम परिस्थितियों के कारण सार्वजनिक सुविधाओं की कमी" के कारकों के आधार पर भी किया जा रहा है। इस तरह के विचार पहले भी लागू किए गए होंगे, लेकिन वर्तमान स्थिति को जो विशिष्ट बनाता है वह है मुस्लिम क्षेत्र से हिंदू क्षेत्र में राजनीतिक सत्ता का स्थानांतरण। यह तथ्य भी ध्यान में रखना होगा कि 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य की विशेष संवैधानिक स्थिति के विवादास्पद उन्मूलन के बाद राज्य को दो केन्द्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया तब से ही राजनीतिक विवाद इस क्षेत्र को अशांत किये हुए है।

आयोग का गठन 6 मार्च, 2020 को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के भाग-V के प्रावधानों के तहत संसद अधिनियम के आधार पर किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश की वर्तमान 83 सदस्यीय विधानसभा में सात अतिरिक्त विधानसभा क्षेत्र जोड़ना अब कठिन कार्य होगा।

आयोग ने अनुसूचित जातियों (हिंदुओं) के लिए सात सीटों को आरक्षित करने का भी सुझाव दिया है जो मुख्य रूप से सांबा-कठुआ-जम्मू-उधमपुर बेल्ट में आते हैं और पहली बार अनुसूचित जनजातियों के लिए भी नौ सीटें निर्धारित करते हैं, जिससे राजौरी-पुंछ को लाभ होने की संभावना है।

एसटी के उच्चतम घनत्व वाले क्षेत्रों में, मुख्य रूप से गैर-कश्मीरी भाषी मुसलमान है। आयोग ने अभी तक उन जिलों के नामों का खुलासा नहीं किया है जहां ये सीटें बनाई गई हैं और एसटी/ एससी आरक्षण और कार्यप्रणाली निर्धारित की गई है। यदि जनसंख्या ही एकमात्र मानदंड है तो घाटी के लिए सीट का हिस्सा 68.8 लाख (2011 की जनगणना के अनुसार) की आबादी के साथ 51 और जम्मू क्षेत्र में 53.5 लाख आबादी पर 39 होगा।

आवंटन से चुनावी संभावनाओं में वृद्धि होती है। कश्मीर आधारित पार्टियों की कीमत पर जम्मू-आधारित पार्टियां अब आगे आएंगी। घाटी के दलों ने मसौदे को "अस्वीकार्य" और "विभाजनकारी" बताते हुए विरोध किया है और इसकी वैधता पर सवाल उठाया है। परिसीमन पर राष्ट्रीय रोक है, और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 को संवैधानिक चुनौती अभी भी सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

लद्दाख की स्थिति, जिसे 2019 में एक विधायिका के बिना केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, भी तुलनीय है। राजनीतिक समूह राज्य का दर्जा और भूमि, नौकरियों, जनसांख्यिकी और संस्कृति पर विशेष संवैधानिक गारंटी की मांग कर रहे हैं। जम्मू-कश्मीर की राजनीति को पुनर्जीवित करने के लिए निरंतर मनमानी और भारी-भरकम उपाय क्षणिक रूप से सफल हो सकते हैं, लेकिन यह स्थायी मार्ग नहीं हो सकता है।

एक लोकतांत्रिक पथ में अनिवार्य रूप से अधिक बातचीत और समायोजनात्मक उपाय शामिल होंगे।

जीएस वर्ल्ड टीम इनपुट

IN THE NEWS

परिसीमन आयोग के बारे में : -

- परिसीमन आयोग को सीमा आयोग (Boundary Commission) के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक जनगणना के बाद भारत की संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद-82 के तहत एक परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है।
- परिसीमन अधिनियम के लागू होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा परिसीमन आयोग की नियुक्ति की जाती है और यह संस्था/निकाय निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर काम करती है।

परिसीमन आयोग की संरचना :-

- परिसीमन आयोग की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश द्वारा की जाती है।
- इसके अतिरिक्त इस आयोग में निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं- मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा नामित कोई निर्वाचन आयुक्त। संबंधित राज्यों के निर्वाचन आयुक्त।
- इसके अतिरिक्त परिसीमन आयोग आवश्यकता पड़ने पर निम्नलिखित अधिकारियों को बुला सकता है :-

1. महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, भारत
2. भारत के महासर्वेक्षक
3. केन्द्र अथवा राज्य सरकार से कोई अन्य अधिकारी।
4. भौगोलिक सूचना प्रणाली का कोई विशेषज्ञ।
5. या कोई अन्य व्यक्ति, जिसकी विशेषज्ञता या जानकारी से परिसीमन की प्रक्रिया में सहायता प्राप्त हो सके।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. निम्नलिखित में से कौन परिसीमन आयोग का सदस्य नहीं हो सकता है?

(a) भारत का पदेन मुख्य न्यायाधीश

(b) भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त

(c) भारत के महासर्वेक्षक

(d) मुख्य निर्वाचन आयुक्त

Expected Question (Prelims Exams)

Q. Who among the following cannot be a member of the Delimitation Commission?

(a) Ex-officio Chief Justice of India

(b) Registrar General and Census Commissioner of India

(c) Surveyor General of India

(d) Chief Election Commissioner

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. जम्मू कश्मीर में परिसीमन को लेकर क्या विवाद है? परिसीमन आयोग की संरचना को विस्तार से समझाइए।
(250 शब्द)

Q. What is the dispute regarding the delimitation in Jammu and Kashmir? Explain in detail the structure of the Delimitation Commission. (250 Words)

Committed To Excellence

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।